(प्रकरण क्र 649/23 उनवान आईसीआईसीआई विरूद्ध अनिल सिंह)

11-09-23 परिवादी द्वारा श्री संदीप दुबे अधिवक्ता उपस्थित।

अभियुक्त अनु0।

प्रकरण अभियुक्त की उपस्थिति हेतु नियत है।

प्रकरण के इसी प्रक्रम पर परिवादी की ओर से उसके अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति हेतु आदेशिका जारी किये जाने के लिये पूर्व में कई बार तलवाना देने के बावजूद एवं गिरफतारी वारंट जारी होने के बावजूद भी जारी आदेशिका के पालन में अभियुक्त का जानबूझ कर उपस्थित न होना व्यक्त कर अभियुक्त को जरिये स्थाई वारंट तलब किये जाने एवं अभियुक्त की उपस्थिति पर परिवादी को परिवाद पत्र में वर्णित परिवादी के पते पर सूचित किये जाने का मौखिक निवेदन किया गया है।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति के परिपेक्ष्य में कई बार आदेशिकायें/वारण्ट जारी किये गये किंतु उसके बाद भी अभियुक्त की व्यक्तिगत् उपस्थिति सुनिश्चित् नहीं हो की है और उसके उपरांत भी अभियुक्त को उसकी उपस्थिति के परिप्रेक्ष्य में कई बार वारण्ट जारी किये जा चुके हैं इस प्रकार अभियुक्त की उपस्थिति हेतु पर्याप्त/उचित प्रयास किये जा चुके हैं किन्तु वे विफल रहे हैं फलतः सामान्य वारंट के माध्यम से निकट भविष्य में भी तामील होना प्रतीत नहीं होती <u>ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त जानबूझकर स्वयं का छुपाब कर/अन्यत्र निवासकर निश्चित् दिनांक की उपस्थिति के लिये नियत सामान्य वारण्ट की तामील सुनिश्चित् नहीं होने दे रहा है</u> अभियुक्त निरंतर अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण में कोई सारवान प्रगति नही हो पा रही है और इस न्यायालय को समाधान हो गया है कि अभियुक्त/अभियुक्तगण सकूनत से फरार है। अतः एक ही बार में तामीली सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अभियुक्त **अनिल सिंह भदौरिया आत्मज श्री मोहर सिंह** को स्थायी गिरफ्तारी वारंट से आहूत किया जावे एवं यदि प्रकरण में अभी तक अभियुचक्त उपस्थित नहीं हुआ है तो वारण्ट पर यह टीप भी अंकित की जावे कि अभियोगित अपराध जमानतीय प्रकृति का है और प्रकरण में अभियुक्त अभी उपस्थित नहीं हुआ है उक्त तथ्य का ध्यान रखा जावे) तथा वारंट पर यह टीप भी अंकित की जावे कि संबधित थाना प्रभारी वारंट के निष्पादन न

होने तक/ अभियुक्त की उपस्थिति या गिरफतारी सुनिश्चत न होने तक वारंट प्राप्ति दिनांक से प्रत्येक दो माह में वांरट निष्पादन/अभियुक्त की तलाशी की कार्यवाही कर उसका प्रतिवेदन न्यायालय में नियमित रूप से भेजा जाना सुनिश्चत करवायें। अभिलेख के मुख्य पृष्ठ पर **"लाल स्याही से"** इस आशय की टीप अंकित की जावे कि अभियुक्त फरार है **अभिलेख नष्ट न किया जावे**। प्रकरण में अभियुक्त की उपस्थिति पर परिवादी एवं उसके अधिवक्ता को परिवाद पत्र में वर्णित पते पर अग्रिम कार्यवाही हेतु सूचित किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर **अभिलेख सुरक्षित रखने की टीप** के साथ प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

SWATI NIVESH JAISWAL

Digitally signed by SWATI NIVESH JAISWAL

(स्वाति निवेश जायसवाल)

जे.एम.एफ.सी. ग्वालियर